

17/5/18

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, परकार न को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 28/6/18 को केम्प मदनपुरा को पेश हो।

28/6/18

पत्रावली

श्री 03

प्रशिक्षण


पत्रावली लोक अदालत केम्प मदनपुरा में पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी नं. 1, 2, 6 मजमे आम में उपस्थित। उपस्थित पशुकरण एवं वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अथ ठिये ठि प्रतिवादी नं. विवादित आराजी का सट्खातेदार है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं. 5 ता 8 प्रतिवादी नं. 1 की संज्ञाने हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादी नं. 5 ता 8 को प्रतिनं. 1 के हिस्से की आराजी में सट्खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 ने वादी एवं प्रतिवादी नं. 5 ता 8 को विवादित आराजी में उसके हिस्से में सट्खातेदार घोषित किये जाने की सहमत प्रकट की तथा आदेशिका पर सहमत स्वरूप हस्ताक्षर किये। पत्रावली का मजमे आम में अवलोकन किया तथा विधि विचारण उपरान्त, वादी विन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधान प्राक्धानों के अनुसरण में शिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतः वादी वादी आदेशिक स्वीकार किया जाऊँ आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी

र  
काम  
र  
। हु

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो किस हुकम की  
तामील में जारी हुए

ठाके ग्राम भदनपुरा तहसील दीगोद तिल्लत  
ख०नं० 70 रकबा 0.04 है, ख०नं० 472  
रकबा 4.73 हे० भूमि में प्रतिवादी नं०।  
प्रभूलाल के विहित दिखने में वादी  
एवं प्रतिवादी नं० 5 व 8 को सहायकार  
घोषित किया जाता है। तदनुसार डिस्ट्री  
जारी हो। निर्णय मजमे काम में सरे  
इजलाल सुनाया गया। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
(रज.म.वि.सद.)

  
20/11/19

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

पीठासीन अधिकारी : लारामती वैष्णव RAS मदनपुरा

हेमराज प्र प्रभुलाल उनवान बनाम प्रभुलाल को

दावा बाबत 88-89-188 RTA

मुकदमा नम्बर:- 70/117

निर्णय दिनांक:- 28/06/2018


वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से ..... की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी)  
लारामती वैष्णव RAS के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि-

ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद तालुका ख.नं. 70 रकबा  
0.04 हे., ख.नं. 472 रकबा 4.73 हे. कुल किला 2 रकबा 4.77 हे.  
भूमि में प्रतिवादी नं. 1 प्रभुलाल के निहित हितों में प्रतिवादी नं. 1  
के साथ वादी एवं प्रतिवादी नं. 5 रा. 8 निगिराज, राजेन्द्र पुत्र  
गायत्री, रेवडी बार्ड पुत्रियां प्रभुलाल को सहकारित्व घोषित किया जाता  
है। वाद वादी को शिक्त स्वीकार किया जाता है। तदनुसार डिक्री  
जादी की जाती है।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(लारामती वैष्णव)

  
(लारामती वैष्णव RAS)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत.	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0